

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 18/2021-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसंबर, 2021

सा.का.नि. (अ) - संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1) और केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I - 2.5 % में, -

- (i) क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "दही; क्रीम, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लीकृत दूध और क्रीम, चाहे सांद्रित हो या नहीं या जिसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या कोई स्वाद या फल, नट्स या कोको मिलाया गया हो या नहीं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कीड़े और अन्य प्राणीजन्य अन्य खाद्य उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल न हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 87 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य अवाष्पशील वनस्पतियां या माइक्रोबियल वसा और तेल (जोजोबा तेल सहित) और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों अथवा नहीं, किंतु रासायनिक रूप से संशोधित न किए गए हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 107 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "तेल-केक और अन्य ठोस अवशेष, चाहे वह ग्राउन्डेड हो या नहीं या छरों के रूप में हों, जो वनस्पति या माइक्रोबियल वसा या तेल के निष्कर्षण से उत्पन्न होता है, शीर्षक 2304 या 2305 के अलावा तथा बिनौला तेल-केक के अलावा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 127 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "डोलोमाइट, चाहे कैलसिंड या सिन्टर्ड हो या नहीं, जिसमें डोलोमाइट को मोटे तौर पर ट्रिम किया गया हो या केवल काटकर, आरी से या अन्यथा, एक आयताकार के

ब्लॉक या स्लैब के (वर्ग सहित) आकार के हों, 2518 10 डोलोमाइट, कैलसिंड या सिन्टर्ड न हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (vii) क्रम संख्या 186क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"186क	3816	डोलोमाइट कुटाई मिश्रण
186ख	3826	हाई स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए गए बायो-डीजल";

- (viii) क्रम संख्या 232 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8419 12" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ix) क्रम संख्या 244 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"244	8802 या 8806	अन्य विमान (उदाहरण के लिए, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज) अनुसूची III में क्रमांक संख्या 383 में शामिल मदों को छोड़कर, व्यक्तिगत उपयोग के अलावा ";
------	-----------------	--

- (x) क्रम संख्या 245 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8807" और कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "शीर्षक 8802 या 8806 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद (अनुसूची III में क्रमांक संख्या 383 में शामिल मदों के पुर्जों को छोड़कर), के पुर्जे" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 258 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9405" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ख. अनुसूची II - 6% में, -

- (i) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, सूखे, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं, जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फ़िलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), पाइन नट्स [सूखी अरीका नट्स से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 25 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पशु या माइक्रोबियल वसा और पशु या माइक्रोबियल तेल और उनके अंश, आंशिक रूप से या पूरी तरह से हाइड्रोजनीकृत, अंतर-एस्ट्रिफ़ाइड, री-एस्ट्रिफ़ाइड या इलडिनाइज़्ड, चाहे परिष्कृत है या नहीं, किन्तु आगे निर्मित नहीं हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " पशु वसा या माइक्रोबियल वसा या पशु तेल या माइक्रोबियल तेल, या इस अध्याय से विभिन्न पशु वसा या माइक्रोबियल वसा या पशु तेल या माइक्रोबियल तेल के अंश से बना खाद्य मिश्रण या निर्मितियाँ, शीर्षक 1516 के खाद्य वसा या तेल या उनके अंशों के अलावा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 27 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पशु या माइक्रोबियल वसा और पशु या माइक्रोबियल तेल और उनके अंश, उबला हुआ, ऑक्सीकृत, निर्जलित, सल्फरयुक्त, उड़ा, निर्वात या निष्क्रिय में गर्मी द्वारा बहुलकीकृत गैस या अन्यथा रासायनिक रूप से संशोधित, शीर्षक 1516 को छोड़कर; अखाद्य मिश्रण या पशु, वनस्पति या माइक्रोबियल वसा या तेल या इस

अध्याय के विभिन्न वसा या तेलों के अंश, किंतु अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 28 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मांस, मांसावशिष्ट, रक्त या कीड़े के सासेज और वैसे ही उत्पाद; इन उत्पादों पर आधारित खाद्य निर्मितियाँ" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 29 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य निर्मित या परिरक्षित मांस, मांसावशिष्ट, रक्त या कीड़े" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 41 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "फलों या नट्स के रस (अंगूर सहित) और सब्जियों के रस, बिना किण्वित और अतिरिक्त स्प्रेट युक्त नहीं, चाहे अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"41क	2009 89 90	टैंडर नारियल जल जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और, - (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में करवाई योग्य दवा किया जा सकता हो या उसपर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहाँ के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";
------	---------------	---

- (ix) क्रम संख्या 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 144 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कालीन और अन्य कपड़ों के फर्श कवरिंग (टर्फ सहित), गुच्छेदार, चाहे बने बनाए हों अथवा नहीं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 185क के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7419 80 30" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 225 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9405" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 236 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पेंटिंग, ड्राइंग और पेस्टल, पूरी तरह से हाथ से निष्पादित, शीर्षक 4906 के ड्राइंग से भिन्न और हाथ से पेंट या हाथ से सजाए गए निर्मित वस्तुओं से भिन्न; कोलाजें, मोज़ाइकें और इसी तरह के सजावटी प्लाक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ग. अनुसूची III - 9% में, -

- (i) क्रम संख्या 26क से 26ठ तक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियां को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"26क	2404 12 00	ऐसे उत्पाद जिनमें निकोटिन हो और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्तः श्वसन के लिए किया जाता हो
------	------------	---

26 ख	2404 91 00, 2404 92 00, 2404 99 00	मौखिक उपयोग या ट्रांसडर्मल उपयोग या मौखिक या ट्रांसडर्मल के अलावा आवेदन के लिए, निकोटिन वाले उत्पाद और जिनका उपयोग तम्बाकू को खत्म करने के लिए किया जाता है
26 ग	2515 12 20, 2515 12 90	मार्बल और ट्रॉवरटाईन, ब्लॉक से भिन्न
26 घ	2516 12 00	ग्रेनाइट, ब्लॉक से भिन्न
26 ङ	2601	लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स, भुना हुआ लौह पाइराइट सहित
26 च	2602	मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स, फेरुजिनस मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स जिसमें 20% या उससे अधिक की मैंगनीज सामग्री हो, जिसकी सूखे वजन पर गणना की गई हो
26 छ	2603	कॉपर अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ज	2604	निकल अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 झ	2605	कोबाल्ट अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ञ	2606	एल्युमिनियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ट	2607	सीसा अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ठ	2608	जिंक अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ड	2609	टिन अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26 ढ	2610	क्रोमियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स";

- (ii) क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 72 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सुरक्षा फ्यूज़; विस्फोट तार; आघात या विस्फोट कैप्स; इग्नाइटरर्स; इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 98 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"98क	3827	मीथेन, ईथेन या प्रोपेन के हलोजनयुक्त डेरिवेटिव युक्त मिश्रण, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल न हों";
------	------	--

- (v) क्रम संख्या 190क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "कांच के आवरण (बल्ब और ट्यूब सहित), खुले और कांच के हिस्से, बिना फिटिंग के, बिजली के लैंप और प्रकाश स्रोतों के लिए, कैथोड रे ट्यूब या ऐसे अन्य उत्पादों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 195 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ग्लास फाइबर (कांच के ऊन सहित) और उससे बनी सामग्रियां (उदाहरण के लिए, यार्न, रीविंग, बुने हुए कपड़े)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 317ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "वायु या वैक्यूम पंप, वायु या अन्य गैस कम्प्रेसर और पंखे; हवादार या पुनर्चक्रण हुड, जिनमें पंखे लगे हो, चाहे उनमें फिल्टर लगे हों या नहीं; तंग-गैस जैविक

सुरक्षा अलमारियाँ, चाहे फिल्टर के साथ फिट हों या नहीं [साइकिल पंपों, अन्य हैंड पंपों और हवा के हिस्सों या वैक्यूम पंपों और साइकिल पंपों के कंप्रेसर से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (viii) क्रम संख्या 320 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8419 [8419 12 से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 330 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मशीनरी, जो निर्दिष्ट नहीं है या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं है, खाद्य या पेय की औद्योगिक तैयारी या निर्माण के लिए, पशु या स्थिर वनस्पति या माइक्रोबियल वसा या तेल के निष्कर्षण या तैयारी के लिए मशीनरी से भिन्न" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 352 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मशीन-टूल्स (प्रेस सहित) फोर्जिंग, हैमरिंग या ड्राई फोर्जिंग द्वारा वर्किंग मेटल के लिए (रोलिंग मिल्स को छोड़कर); मशीन-टूल्स (प्रेस, स्लिटिंग लाइन्स और कट-टू-लेंथ लाइन्स सहित) बेंडिंग, फोल्डिंग, स्ट्रेटनिंग, फ्लैटनिंग, शीयरिंग, पंचिंग, नॉचिंग या निबलिंग द्वारा वर्किंग मेटल के लिए (ड्रा-बेंच को छोड़कर); वर्किंग मेटल या मेटल कार्बाइड्स के लिए प्रेस, जो कि ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 369ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"369ग	8485	एडिटिव मैनुफैक्चरिंग के लिए मशीनें";
-------	------	--------------------------------------

- (xii) क्रम संख्या 382 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"382क	8524	फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल, जिसमें टच-सेंसिटिव स्क्रीन शामिल हो या नहीं";
-------	------	--

- (xiii) क्रम संख्या 383 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"383	8525 या 8806	क्लोड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी), रेडियो-प्रसारण या टेलीविजन के लिए प्रसारण उपकरण, चाहे रिसेप्शन उपकरण या ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हो या नहीं; टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर जिसमें मानव रहित विमान के रूप में माल शामिल है जो 8806 के अंतर्गत आता है [रक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों, आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो-तरफा रेडियो (वाँकी टॉकी) के अलावा]";
------	-----------------	--

- (xiv) क्रम संख्या 390 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "इलेक्ट्रिकल फिलामेंट या डिस्चार्ज लैंप जिसमें सीलबंद बीम लैंप यूनिट और अल्ट्रा-वायलेट या इन्फ्रा-रेड लैंप शामिल हैं; आर्क लैंप [प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xv) क्रम संख्या 392 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सेमीकंडक्टर डिवाइसेस (उदाहरण के लिए, डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर आधारित ट्रांसड्यूसर); फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस; प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी), अन्य प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) के साथ संयोजन

किया गया है या नहीं; माउंटेड पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (xvi) क्रम संख्या 398 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8548 या 8549" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvii) क्रम संख्या 411ज के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "लेजर, लेजर डायोड से भिन्न; अन्य ऑप्टिकल उपकरण और यंत्र, जो निर्दिष्ट नहीं हैं या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xviii) क्रम संख्या 413क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "एक्स-रे या अल्फा, बीटा, गामा या अन्य आयनकारी विकिरणों के उपयोग पर आधारित उपकरण [चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के अलावा], जिसमें रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्सरे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, 28 परीक्षाएं या उपचार टेबल, कुर्सियाँ और इसी तरह के सामान शामिल हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xix) क्रम संख्या 438क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ल्यूमिनेयर और लाइटिंग फिटिंग्स, जिसमें सर्चलाइट और स्पॉटलाइट और उसके हिस्से शामिल हैं, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रबुद्ध संकेत, प्रबुद्ध नेमप्लेट और इसी तरह, जिसमें स्थायी रूप से तय किए गए प्रकाश स्रोत हैं, और उसके हिस्से जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं [केरोसिन प्रेशर लालटेन और उसके हिस्सों से भिन्न गैस मेटल; हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप, पेट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी, और उसके हिस्से; एलईडी लैंप सहित एलईडी लाइट या जुड़नार; एलईडी (प्रकाश) एमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीबी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड)]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xx) क्रम संख्या 441क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "ट्रैवलिंग सर्कस और ट्रैवलिंग मेनेजरीज; एम्यूजमेंट पार्क राइड्स एंड वाटर पार्ट एम्यूजमेंट; फेयरग्राउंड एम्यूजमेंट, जिसमें शूटिंग गैलरी शामिल हैं; ट्रैवलिंग थिएटर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxi) क्रम संख्या 449ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "वैक्यूम फ्लास्क और अन्य वैक्यूम वेसल, पूर्ण; कांच के अंदरूनी हिस्सों से भिन्न उसके हिस्से" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

घ. अनुसूची IV - 14% में, -

- (i) क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"15क	2404 11 00	ऐसे उत्पाद जिनमें तम्बाकू या पुर्नगठित तम्बाकू हो और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्तः श्वसन के लिए किया जाता हो
15ख	2404 19 00	ऐसे उत्पाद जिनमें तम्बाकू या निकोटिन सब्सीट्यूट्स हों और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्तः श्वसन के लिए किया जाता हो";

- (ii) क्रम संख्या 176 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8802 या 8806" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फाइल संख्या 354/281/2021-टीआरयू]

(राजीव रजंन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2021-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 18 नवंबर, 2021 सा.का.नि. 818(अ), दिनांक 18 नवंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।